

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0
जी-1 / 138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर

वर्ष 2015-16 की अवधि के लिये प्रयोगार्थ कागज क्रय हेतु बिड्स

मुद्रणालय को वर्ष 2015-16 की (अनुबंध होने की तिथि से एक वर्ष) अवधि के लिए प्रयोगार्थ विभिन्न प्रकार के कागज क्रय हेतु प्रतिष्ठित मिलों रजिस्टर्ड फर्मों/अनुमोदित वितरको/वास्तविक सामान के विक्रेताओं से आनलाईन ई प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से टू बिड्स पद्धति से बिड्स दिनांक 27.08.2015 को सांय 5 बजे तक आमंत्रित की जाती है। टू बिड पद्धति से बिड्स (तकनीकी एवं वित्तीय) मय मूल प्रपत्र, बिड्स शर्तो (परिशिष्ट "अ" से "स") का मुद्रणालय की वेबसाईट www.thecooperativepress.com व eproc.rajasthan.gov.in व sppp.rajasthan.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है एवं वेबसाईट eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड किया जाना है। विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। बोलीदाता फर्म का जयपुर में कार्यालय/गोदाम/कार्यशाला होना अनिवार्य है।

Bidders who wish to participate in online tenders should have legally valid Digital Certificate as per Information Technology Act 2000 procured through any of the licence certifying Authority of India using which they can sign their electronic bids.

प्राप्त बिड्स के प्रस्तावों में तकनीकी बिड को उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोला जायेगा। तकनीकी बिड में सफल बोलीदाता की ही "वित्तीय बिड" को खोला जायेगा। किसी भी बिड या उसके किसी भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार मुद्रणालय को होगा तथा इस संबंध में मुद्रणालय का निर्णय ही अन्तिम व मान्य होगा। बोलीदाता द्वारा बिड्स प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह होगा कि समस्त शर्तें बोलीदाता को स्वीकार हैं। बिड के साथ दो प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि बिड प्रपत्र में अंकितानुसार डीडी द्वारा जमा कराना होगा। बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में बिड पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु उद्योग इकाई को बोली प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग संबंधी छूट लेने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी लघु उद्योग संबंधी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति अथवा राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रति बिड के साथ अपलोड करनी होगी। इस प्रकार की इकाई को बिड सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि मुद्रणालय में डीडी द्वारा जमा करानी होगी इसके अभाव में लघु उद्योग संबंधी छूट प्रदान नहीं की जावेगी। सफल बोलीदाता को सामग्री के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा रजिस्टर्ड लघु उद्योग इकाई को सामान के मूल्य के एक प्रतिशत के बराबर नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा लिखित करार (अनुबन्ध) करना होगा।

बिड अनुबंध की वैधता अवधि अनुबंध होने की तिथि से एक वर्ष होगी। आवश्यकता होने पर आपसी सहमति से, नियमों के तहत अगले तीन माह तक और बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में मुद्रणालय का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा। बढ़ाई गई अवधि के लिये अलग से करार नहीं किया जायेगा।

संलग्न : बिड प्रपत्र एवं शर्तें

प्रबन्ध निदेशक

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०,
जी-1/138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर

वर्ष 2015-16 की अवधि के लिये कागज आपूर्ति हेतु बिड प्रपत्र प्रथम "तकनीकी बिड"

1. बिड प्रपत्र मूल्य 1000.00 रूपये
2. बिड सबमिशन समाप्ति की दिनांक 27.08.2015 को सांय 5.00 बजे तक
3. बिड खोलने की दिनांक 01.09.2015 को अपरान्ह 3.00 बजे

1. बोलीदाता का नाम व पूर्ण पता.....

बोलीदाता फर्म का स्थानीय स्तर पर कार्यालय/गोदाम/कार्यशाला का पूर्ण पता

फोन नं.ई-मेलमोबाइल नं.

1. बिड प्राप्तकर्ता प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०, जयपुर

1	बोली प्रतिभूति राशि	डीडी/नगद द्वारा प्रेषित राशि.....
2	बोली प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग संबंधित छूट लेने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी लघु उद्योग संबंधी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति अथवा राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रति बिड के साथ है। इस प्रकार की ईकाई बिड सूचना में बताई गई अनुबन्ध राशि का आधा प्रतिशत मुद्रणालय में जमा करा दी गयी है।	डीडी/नगद द्वारा प्रेषित राशि.....
3	वैट रजिस्ट्रेशन नम्बर (प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न है।)	
4	प्रोसेसिंग फीस (MD, RISL) के नाम देय डीडी का विवरण (रूपये एक हजार मात्र)	
5	बिड शुल्क का विवरण	
6	बोलीदाता के कार्यालय, गोदाम एवं कार्यशाला का पूर्ण पता	
7	बोलीदाता के (पंजीकरण के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।) टिन नम्बर व पैन नम्बर	टिन नं. पैन नं.
8	बिड के साथ कागज के नमूने (मिल के नाम आदि विवरण सहित) संलग्न है। जिन पर अपनी मोहर लगी है।	

9	वैट की निर्धारित दर	
10	अधिकृत विक्रेता होने अथवा अनुमोदित वितरक होने अथवा वास्तविक विक्रेता होने का घोषणा-पत्र प्रस्तुत है।	
11	बोलीदाता के मालिक/साझेदार का नाम व पूर्ण विवरण	
12	डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का विवरण	
13	<u>वित्तीय सक्षमता</u> :- विगत तीन वर्षों 2012-13, 2013-14, 2014-15 का अंकेक्षित आय-व्यय विवरण एवं सन्तुलन चिट्ठा सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित (जो कि बिड के मूल्य के 100 प्रतिशत से कम न हो) प्रति संलग्न है।	
14	फर्म के पास गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष 800.00 लाख रुपये के कार्य आदेश (जो कि एक से अधिक हो सकते हैं) अथवा टर्न ओवर	

बोलीदाता के हस्ताक्षर व मोहर

नोट :- तकनीकी निविदा (प्रपत्र'अ') वेबसाईट eproc.rajasthan.gov.in पर सम्बन्धित दस्तावेजों सहित पूर्णतया भरी हुई PDF Format में Cover 1 में अपलोड करनी होगी।

बोलीदाता द्वारा घोषणा पत्र

मेरे/हमारे द्वारा प्रदत्त बिड संख्या दिनांक के अन्तर्गत राजस्थान लोक उपापन मे पाददर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 के अन्तर्गत एतद् घोषणा करता हूँ कि :-

- (1) यह कि मुद्रणालय द्वारा उक्त बिड्स से सम्बन्धित समस्त प्रकार की व्यवसायिक तकनीकी, आर्थिक एवं प्रबन्धकीय संसाधन आदि मेरे/हमारे पास उपलब्ध है।
- (2) यह कि मैं/हम केन्द्र और राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार के देय करो के लिये बाध्यकारी रहूँगा/रहेगें।
- (3) यह कि हम/मैं किसी न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकारी, आदाता द्वारा दिवालिया आदि घोषित नहीं हूँ/है और न ही उक्त कारणों से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन है।
- (4) यह कि विगत 3 वर्षों में मैं/हम और हमारे निदेशक व अधिकारियों में से कोई व्यावसायिक गतिविधि के कारण किसी आपराधिक गतिविधि में सजायापता नहीं है और ना ही किसी प्रकार के गलत तथ्यों व झूठी घोषणाओं के कारण नियोग्य किये गये है।
- (5) यह कि मेरे/हमारे द्वारा बिड प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ़ लिया गया है और मैं/हम इसकी शर्तों/नियमों से पूर्णतया सहमत हूँ/है।
- (6) यह कि मैं/हम उक्त अधिनियम, नियम व बिड्स शर्तों से विपरीत कोई धारणा नहीं रखते है।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर बोलीदाता

नाम.....

पद.....

पता.....

.....

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०
जी-1/138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर-302017
फोन नं. 0141-2751417, 2751352

वर्ष 2015-16 की अवधि के लिये कागज आपूर्ति हेतु बिड प्रपत्र द्वितीय "वित्तीय बिड"

1. बोलीदाता का नाम व पूर्ण पता.....
.....
.....
2. मुद्रणालय को वर्ष 2015-16 की अवधि में कागज सप्लाई करने हेतु हमारी फर्म द्वारा बिड प्रपत्र में निम्नानुसार दरें प्रस्तुत हैं :-
अनुमानित कागज की कुल राशि 800.00 लाख रुपये कुल बोली प्रतिभूति राशि 16.00 लाख रुपये
3. बिड प्रपत्र के साथ बिड एवं संविदा की जो शर्तें संलग्न हैं, हमें स्वीकार हैं।
4. सभी दरें प्रति किलो वैट रहित (Without VAT) अंकित हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

नोट :- वित्तीय बिड (प्रपत्र 'ब') वेबसाईट eproc.rajasthan.gov.in पर दिये गये फॉरमेट में Cover 2 में दरें प्रस्तावित की जानी हैं। प्रस्तावित दरें वैट रहित (Without Vat) दी जानी हैं।

**राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०,
जी-1 / 138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर
कागज क्रय हेतु बिड एवं संविदा की शर्तें**

सूचना : बोलीदाता को अपनी दरें भरते समय इन शर्तों को बहुत ध्यानपूर्वक पठना चाहिए।

1. वर्ष 2015-16 की (अनुबंध होने की तिथि से एक वर्ष) अवधि के लिये मुद्रणालय को विभिन्न प्रकार का कागज क्रय हेतु प्रतिष्ठित मिलो/फर्मो/विक्रेताओं/निर्माताओं से आनलाईन ई प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया के तहत टू बिड पद्धति से बिड्स (तकनीकी एवं वित्तीय) हस्ताक्षरयुक्त वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर दिनांक 27.08.2015 को सांय 5 बजे तक प्रस्तुत की जायेगी (1) तकनीकी बिड प्रपत्र "अ" में तकनीकी एवं अन्य विवरण तथा (2) वित्तीय बिड प्रपत्र "ब" में दरें अंकित कर प्रस्तुत करनी होगी। बोलीदाता फर्म का जयपुर में कार्यालय/गोदाम/ कार्यशाला होना अनिवार्य है।
2. क्रय समिति द्वारा सर्वप्रथम तकनीकी बिड को खोला जायेगा। तकनीकी बिड मे योग्य पाये जाने पर ही वित्तीय बिड पर विचार किया जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार का वाद विवाद मान्य नहीं होगा।
3. विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. बिड केवल उन्हीं फर्मो/व्यापारियों द्वारा दी जानी चाहिये, जो निर्माता हो अथवा संबंधित सामग्री के लिए रजिस्टर्ड/अनुमोदित वितरक हो या वास्तव में उस सामान के विक्रेता हो, जिसके लिए बिड दी गई है।
5. आपूर्ति किये जाने वाला माल निर्धारित विवरणों/स्पेसिफिकेशन के अनुसार एवं अनुमोदित स्टेण्डर्ड सैम्पल से मिलता हुआ सर्वोत्तम किस्म का होगा, अन्यथा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. फर्म आवंटित आदेश को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं देगा और न ही उससे सप्लाई करवायेगा।
7. संस्था को माल के निरीक्षण करने तथा गुणवत्ता/मेक आदि के बारे में जांच करने का अधिकार होगा।
8. बोलीदाता को अपने कार्यालय, गोदाम व कार्यशाला प्रांगण का पूर्ण पता देना होगा। जहां जाकर निरीक्षण किया जा सकेगा तथा उस व्यक्ति का पूरा नाम तथा पता भी देना चाहिये, जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।
9. यदि अनुमोदित गुणवत्ता, मेक या आकार से भिन्न माल सप्लाई किया जाता है तो वह अस्वीकार कर दिया जावेगा तथा उसे बिना अतिरिक्त मूल्य के एक निश्चित अवधि के भीतर बिडर द्वारा बदलना होगा।
10. सभी दरें एफ. ओ. आर. मुद्रणालय परिसर मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर होगी, जिसका कोई कार्टेज देय नहीं होगा।
11. बिड देने वाली फर्म जिसकी निविदा स्वीकृत की जाती है, आदेश में अंकित समय की अवधि में माल आपूर्ति करने के लिए बाध्य होगी।
12. आपूर्ति का आदेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।
13. बिड में कोई भी अभिवृद्धि (एडीशन) एवं परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
14. बोलीदाता को बिड प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ व अन्त में बिड एवं अनुबंध की समस्त शर्तों को मानने के प्रमाण में हस्ताक्षर करने होंगे जो कि अनुबंध का भाग होगा।

15. तकनीकी एवं वित्तीय बिड अपलोड करते समय नियमानुसार दो प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि के रूप में डीडी द्वारा जमा करानी होगी। इसके बिना बिड पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। बोली प्रतिभूति राशि राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयपुर के पक्ष में बैंक डीडी द्वारा जमा करानी होगी। यह बोली प्रतिभूति राशि जिस फर्म की बिड स्वीकार नहीं होगी, उन्हें बिड की अंतिम स्वीकृति होने के एक माह में लौटा दी जावेगी एवं जिन बोलीदाताओं की निविदा स्वीकार की जावेगी उनके मामले में इस राशि को जमानत (सिक्यूरिटी) के रूप में समायोजन किया जावेगा।
16. पूर्व में मुद्रणालय में जमा बोली प्रतिभूति/सिक्यूरिटी राशि का बिड के साथ नियमानुसार जमा कराई जाने वाली राशि में समायोजन नहीं होगा।
17. उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु उद्योग इकाई को बोली प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग संबंधी छूट लेने हेतु निदेशक, उद्योग विभाग द्वारा जारी किये गये लघु उद्योग इकाईयों के पंजीयन की मूल प्रति अथवा राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित फोटो प्रति बिड के साथ संलग्न करनी होगी। इस प्रकार की इकाई को बिड सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि मुद्रणालय में डीडी द्वारा जमा करानी होगी। इसके अभाव में लघु उद्योग संबंधी छूट प्रदान नहीं की जावेगी एवं बिड पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
18. सफल बोलीदाता को निर्धारित प्रपत्र में एक अनुबन्ध करना होगा तथा संविदा की शर्तों को भली प्रकार से निभाने के लिए नियमानुसार पांच प्रतिशत कार्य सम्पादन राशि जमा करानी होगी। रजिस्टर्ड लघु उद्योग इकाई को नियमानुसार एक प्रतिशत कार्य सम्पादन राशि जमा करानी होगी। सहमत हुए संविदा का कार्य पूर्ण होने की तारीख से दो माह के बाद विवाद न होने की स्थिति में सिक्यूरिटी राशि लौटा दी जावेगी। ऐसी कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर मुद्रणालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। अनुबन्ध को पूरा करने एवं उस पर स्टाम्प आदि का जो व्यय होगा वह बोलीदाता फर्म को वहन करना पड़ेगा। क्रयकर्ता अधिकारी को निःशुल्क अनुबन्ध की एक स्टाम्प लगी हुई मूल प्रति दी जावेगी। अनुबन्ध के अभाव में बिड निरस्त कर दी जावेगी।
19. फर्म को भुगतान करने में (राशि के प्रेषण) जो भी अतिरिक्त व्यय होगा वह अनुमोदित फर्म द्वारा वहन किया जावेगा।
20. यदि अनुमोदित वितरक निर्धारित विशिष्ट विवरण के अनुसार माल सप्लाई करने में असफल हो जाता है या निर्दिष्ट अवधि के भीतर सामग्री भेजने में असफल रह जाता है तो मुद्रणालय अन्य प्रकार से व्यवस्था करने को स्वतंत्र होगा तथा जिसमें होने वाली क्षतिपूर्ति बोलीदाता फर्म से की जावेगी।
मुद्रणालय अनुमोदित वितरक को सप्लाई नहीं किये गये या छोड़े गये या वितरित रूप से शिकायत के माल को सप्लाई करने के लिए लिखित में सात दिवस को नोटिस दे सकता है एवं बाद में उस नोटिस की तामील होने की तारीख से सात दिवस के भीतर यदि अनुमोदित वितरक पालना करने में असफल रहता है, तो ऐसे मामलों में यदि मुद्रणालय उचित समझता है तो उसके लिए उस सुरक्षित धन राशि को रोकना न्यायोचित होगा एवं वह जो भी सामान जो अनुमोदित वितरक के प्रति बकाया होगा उसे खरीदने के लिए अन्य व्यवस्था कर सकेगा तथा जो भी किसी अन्य अधिकरण के जरिये माल के वितरण करने की व्यवस्था करने में मुद्रणालय द्वारा अधिक व्यय वहन करना पड़ेगा, वह उसकी सिक्यूरिटी राशि में से पूरा किया जावेगा।
21. (i). सामग्री/माल निश्चित किये गये गोदाम पर अच्छी दशा में सम्भलवाया जायेगा। यदि अनुमोदित फर्म चाहती हो तो माल की चोरी होने, आग, बाढ एवं समय के खराब होने से या अन्य प्रकार से बचने के लिए माल का बीमा करा सकता है जिसका व्यय स्वयं फर्म को वहन करना पड़ेगा।

- (ii) सामग्री का भुगतान बिल प्राप्त के एक माह में किया जावेगा। विवादास्पद सामग्री के मामले में निपटारा होने पर बिल का भुगतान किया जावेगा।
- (iii) यदि परस्पर समझौता हो जाये तो बिड की मान्यता अवधि एवं सामान भेजने की अवधि दोनों में विस्तार किया जा सकता है।
- (iv) बोलीकर्ता या उसके प्रतिनिधियों की ओर से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से बिड स्वीकृत करने के लिए प्रयास करने को अयोग्यता माना जावेगा।
22. मुद्रणालय किसी भी बिड को स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह न्यूनतम बिड को ही स्वीकार करे। वह किसी भी बिड/बिड के किसी भाग को उसके कारण बतलाये बिना रद्द कर सकता है।
23. बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म के लिए बिक्री कर (वैट) रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र एवं कर निर्धारण अधिकारी से बिक्री कर (वैट) चुकती प्रमाण-पत्र बिड के साथ ऑनलाईन करना होगा। इसके अभाव में बिड स्वीकृत नहीं की जायेगी। यदि बिड देने वाली फर्म किन्हीं सत्यभूत कारण से वैट (कर) चुकती प्रमाण-पत्र देने में असमर्थ रही है तो प्राधिकारी बिड पर विचार कर सकता है परन्तु शर्त यह है क्रय करने वाले अधिकारी के पास विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण हो, ये कारण अभिलिखित किये जावेंगे तथा बिड देने वाली फर्म से बाद में प्रमाण-पत्र देने के लिए कहा जा सकता है लेकिन किसी भी मामले में यह प्रमाण-पत्र उसे संविदा पर अनुबन्ध होने से पूर्व देना होगा।
24. बोलीदाता द्वारा संस्था को विलम्ब से आपूर्ति करने पर नियमानुसार शास्ती लगाने का पूर्ण अधिकार संस्था प्रशासन को होगा जिसकी कटौती बोलीदाता फर्म के पूर्व में प्रेषित बिलों में से अथवा सिक्यूरिटी राशि में से काटकर समायोजित कर ली जावेगी।
25. फर्म को पंजीकृत प्रमाण-पत्र एवं मालिक/साझेदार का नाम व पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होगा।
26. भुगतान योग्य बिलों पर नियमानुसार टी.डी.एस. काटा जायेगा।
27. दरों में वैट (टैक्स) पृथक से अंकित किया जाये।
28. सिक्यूरिटी बोण्ड पेपर मुद्रणालय द्वारा निर्धारित वाटरमार्क पर निर्मित किया जाना होगा।
29. Bidders who wish to participate in online tenders should have legally valid Digital Certificate as per Information Technology Act 2000 procured through any of the licence certifying Authority of India using which they can sign their electronic bids
30. बोलीदाताओं से उत्पन्न होने वाली सभी विवादों एवं अनुबंध के निर्वचन से सम्बन्धित सभी विवादों के निपटारे के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के तहत उपापन से सम्बन्धित विवादास्पद प्रकरण के सम्बन्ध में अपील की सुनवाई का अधिकार प्रथम अपील प्राधिकारी मुद्रणालय के प्रशासक/संचालक मंडल एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर में निहित है।
31. बिड्स अनुबन्ध की वैधता अनुबन्ध होने की तिथि से एक वर्ष लिये मान्य होगी। आवश्यकता पड़ने पर नियमों के तहत आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा।
32. बिड्स स्वीकृत करने/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रशासक, सहकारी मुद्रणालय को होगा।
33. आयकर/वैट चुकती प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

34. दरों में शब्दों एवं अंको में अंतर होने पर शब्दो वाली दर सही मानी जावेगी।
35. बोलीदाता/फर्म को पहचान हेतु फोटो युक्त आई डी प्रूफ प्रस्तुत करना है।
36. दोनों बिड्स (तकनीकी एवं वित्तीय) वेबसाईट eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जानी है। बिड्स प्रपत्र (टू बिड) एवं शर्ते इस मुद्रणालय की वेबसाईट www.thecooperativepress.com तथा eproc.rajasthan.gov.in व sPPP.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। तकनीकी बिड्स के साथ ही बिड्स प्रपत्र की राशि 1000/—, प्रोसेसिंग फीस 1000/— व बोली प्रतिभूति राशि का DD Scan Copy अपलोड करने पर ही वित्तीय बिड्स में हिस्सा लिया जा सकता है।
37. किसी भी निविदत्त मिल विशेष का कागज/सामग्री क्रय करने हेतु मुद्रणालय बाध्य नहीं होगा।
38. सामान समय पर उपलब्ध नहीं कराने पर नियमानुसार Penalty लगाई जावेगी।
39. मुद्रणालय के राजस्थान लोक उपापन में पारिदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 में दशार्थ गये नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्यवाही का अधिकार होगा।
40. सर्शत बिड स्वीकार नहीं की जायेगी।

प्रबन्ध निदेशक

हमने उक्त बिड्स की शर्ते पूर्ण रूप से पढ ली है तथा हम उक्त सभी शर्तो को मानने के लिए बाध्यकारी होंगे।

हस्ताक्षर बोलीदाता फर्म मय मोहर